कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

क्रमांक : एफ.1(सी)संस्था / विविध / 2024 / 1992 दिनांकः 16/10/2024

–: कार्यालय आदेश :–

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ16(4)(5)निमअ / योन.उत्पी. / 11 / जयपुर दिनांक 09.10.2024 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 के 14) के अध्याय III के तहत जिला अधिकारी के रूप में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं अधिकारों का निर्वहन करते हुये डीडवाना–कुचामन जिले के लिये अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaint Committee) का गठन किया जाता है –

अध्यक्ष – श्रीमती सुशीला चौहान, सचिव, सम्पर्क संस्थान, कुचामन सिटी
सदस्य – श्रीमती पुष्पलता साद, लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सदस्य – श्रीमती काजू कंवर, सामाजिक कार्यकर्ता, कुचामन सिटी
सदस्य – श्रीमती सोनम दाधिच, अधिवक्ता, मकराना
सदस्य सचिव – उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर

समिति के कार्य, उत्तरदायित्व एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है –

1. समिति के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अध्याय IV व V तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 7 के अनुसार प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण किया जायेगा।
2. समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला रहेगा।
3. अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों के कार्यस्थल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से निर्धारित अवधि (अधिकतम 3 वर्ष) के अनुसार किया जायेगा।
4. अध्यक्ष एवं मनोनित सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्व एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यता उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा।
5. समिति के द्वारा अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21(1) की पालना में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिये निर्धारित फार्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को प्रेषित की जायेगी जिसमे निम्नलिखित ब्योरै होंगे –
   - वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।
   - ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया।
   - ऐसी मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है।
   - लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्व क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.16 15:51:25 IST
Reason: Approved

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Ref No.: 11184561

क्रमांकः– सम/2024/1993-2002 दिनांकः– 16/10/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर।
3. उपनिदेशक, महिला संरक्षण प्रकोष्ठ,महिला अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक महिला अधिकारिता नागौर।
5. निजी सचिव, जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन।
6. श्रीमती...
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.16 15:51:25 IST
Reason: Approved

..: 11184561